

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग

होटल खासा कोठी परिसर, एम. आई. रोड, जयपुर।  
टेलीफोन नं. 0141-5155107 फेक्स नं. 0141-5155100

क्रमांक : एफ 8( )ट्रेड/कोर्ट केस/गा.आ./पवि/2016/26065

दिनांक 26-12-2016

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नं. 7060/2015 एवं 6 अन्य में दिनांक 27.09.2016 को पारित निर्णय की अनुपालना में विभाग द्वारा वर्ष 2007 में जयपुर-दौसा स्थानीय स्तर गाइड प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित सभी आवेदकों से एससी, एसटी, ओबीसी/एसबीसी आरक्षित श्रेणी के रिक्त रहे स्थानों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग यथा एससी, एसटी, ओबीसी/एसबीसी के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार मेरिट से संबंधित श्रेणी के रिक्त रहे स्थानों के विरुद्ध गाइड लाईसेन्स जारी किये जायेगे। इस हेतु एससी, एसटी, ओबीसी/एसबीसी आरक्षित श्रेणी के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सभी आवेदकों को अवसर प्रदान कर दिनांक 20.01.2017 को सांय 05.00 बजे तक संयुक्त निदेशक (ट्रेड), पर्यटन विभाग, होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई. रोड, जयपुर के नाम निम्नलिखित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित है। आवेदक आवेदन 20.01.2017 को सांय 05.00 बजे तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.सं.	विवरण	आवेदक द्वारा पूर्ति
1.	आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता मय टेली./मोबाईल नं.	
2.	पिता का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	2007 में आवेदन के समय शैक्षणिक योग्यता	
5.	दिनांक 01.07.2012 को आयोजित लिखित परीक्षा के रोल नं.	
6.	मेरिट सूची नं.	
7.	क्या आप प्रशिक्षण, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित हुए हैं। यदि हां तो कुल प्राप्त अंको का विवरण अंकित करे।	
8.	क्या आपको जयपुर-दौसा स्थानीय स्तर का गाइड लाईसेंस जारी किया जा चुका है। यदि हां तो लाईसेंस नं. अंकित करें।	
9.	क्या आप अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/पिछडा वर्ग (ओबीसी)/विशेष पिछडा वर्ग (एसबीसी) के अभ्यर्थी है, यदि हाँ तो श्रेणी का नाम एवं जाति प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न करे।	

आवेदक के हस्ताक्षर



(जी.एस. गंगवाल)

संयुक्त निदेशक, पर्यटन